न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 05/2018

प्रार्थी–

पूंजाराम पुत्र सुखाराम जाति नाई
निवासी मण्डली तहसील पचपदरा
जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. केलाकुंवर उर्फ कैलादेवी पत्नी बेरीसालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मण्डली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 09 (मिसल सं. 09) दिनांक 10.10.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत मण्डली द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पुरूषोतम सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मण्डली द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम मण्डली मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा क्रमांक 09 दिनांक 10.10.2009 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 8200 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

मण्डली द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत मण्डली का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियमों के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में नियम 150 से 152 के तहत नीलामी कर पट्टा जारी करने का लिखा है जबकि उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता हैं उस व्यक्ति का पुराना रहवासीय कब्जा मकान होना चाहिए तथा नीलामी में सबसे उंची कीमत आनी चाहिए। अप्राथी सं. 2 का न तो कभी कब्जा रहा हैं और न ही नीलामी की कोई प्रक्रिया की गई हैं। विवादित भूखण्ड पर मौके पर प्रार्थी का कब्जा एवं रहवासीय मकान बना हुआ था और उसमें प्रार्थी का रहवास था ऐसी स्थिति में बिना मौका कब्जा की जांच किये ही आलौच्य पट्टा जारी कर दिया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख पंचायत की बैठक दिनांक 20.09.2009 के अनुसरण में दिनांक 10.10.2009 को मा[illegible]20 [illegible] के अन्दर ही जारी कर दिया हैं जबकि नियम 148 मालिक[illegible] करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद एक माह का नोटिस देकर आप[illegible]यों को आमंत्रित किया जाना आवश्यक है तत्पश्चात आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही पट्टा जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish[illegible] Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested

जा सकता हैं ऐसी स्थिति में आलौच्य पट्टा अवैध व शुन्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी सं. 2 से कोई प्रार्थना–पत्र नहीं लिया गया। ग्राम विकास की कोई योजना नहीं बनाई, अप्रार्थी सं. 2 को प्रार्थना–पत्र रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आवेदित भूखण्ड के स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कोई कमेटी गठित नहीं की गई और न ही सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा आलौच्य पट्टा जारी करने की निर्धारित शुल्क 200 जमा करने एवं रोकड़ बही में इन्द्राज का कोई हवाला नहीं दिया गया हैं। आलौच्य पट्टा विलेख के अधिकांश कॉलम खाली रखे गये हैं तथा करीब 910 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया हैं जिसका ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार नहीं हैं और न ही इसकी स्वीकृति ली गई हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत मण्डली द्वारा अवैध व अनुचित तरीके से, बिना कानूनी प्रावधानों की पालना किये, क्षेत्राधिकार से परे जाकर, स्वामित्व व आधिपत्य की जांच किये बिना ही प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 के नाम आलौच्य पट्टा जारी कर दिया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा सं. 09 दिनांक 10.10.2009 अवैध व शुन्य होने से निरस्त फरमाया जावें।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी व उसका पुत्र नरपत उर्फ नरसिंह अनपढ होने के कारण प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को उक्त आलौच्य पट्टे की जानकारी नही थी। प्रार्थी द्वारा किये गये सिविल वाद सं. 14/2010 के खारिज होने की जानकारी देते हुए अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.12.2017 को बताया कि आलौच्य पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। इस पर ग्रामसेवक मण्डली से आलौच्य पट्टा विलेख की नकल मांगी जो ग्राम पंचायत में होने से इन्कार किये जाने पर इस निगरानी प्रार्थना पत्र के संलग्न आलौच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा विलेख की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई हैं, लिहाजा प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र उपर्युक्त आधारों पर अन्दर मयाद शुमार किया जाकर स्वीकार फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में सर्वप्रथम उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख की जानकारी दिनांक 07.12.2017 को होने का तथ्य गलत एवं मनगढ़त अंकित किया गया हैं क्योंकि उल्लेखित सिविल वाद में प्रस्तुत काउण्टर क्लेम जरिये जवाबदावा और जवाबउल जवाब और प्रार्थी के पुत्र नरपत उर्फ नरसिंह के बयान दिनांक 19.11.2016 के विपरित कथन किये हैं। प्रार्थी के पुत्र नरपत उर्फ नरसिंह ने उक्त वाद में दिये बयान दिनांक 19.11.2016 में जिरह में यह स्वीकार किया हैं कि इस प्लॉट का फर्जी पट्टा केलादेवी ने बना रखा है.... मेरे द्वारा इस पट्टे को कैंसिल करने हेतु बीडीओ को शिकायत की थी। इस प्रकार प्रार्थी के पुत्र की उक्त स्वीकारोक्ति प्रार्थी की निगरानी के पद सं. 03 में अंकित तथ्यों से पूर्णतया विरोधाभासी हैं तथा प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र 08 वर्ष 04 माह 24 दिन के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया हैं तथा देरी को कण्डोन करने का कोई आधार प्रकट नहीं किया गया हैं।

6. अप्रार्थी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता द्वारा निगरानी के जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष सर्वप्रथम दिनांक 16.07.2009 को आवेदन मय नक्शा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूखण्ड का विक्रय विलेख हासिल करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं. 2 के इस आवेदन–पत्र पर हल्का पटवारी मण्डली द्वारा प्रमाणित किया गया कि वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा कई वर्षों से हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने आवेदन–पत्र की शुल्क के रूप मे 02 रूपये जमा किये जिसकी रसीद सं. 3 जारी की गई। इसके पश्चात ग्राम पंचायत की आगामी बैठक दिनांक 05.08.2019 में प्रस्ताव सं. 3 पारित कर मौका कमेटी को मौका निरीक्षण करने हेतु आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishu Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

दिया गया, जिस पर मौका कमेटी द्वारा दिनांक 20.08.2019 को मौका निरीक्षण कर मय नक्शा रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के पडौसियान नगसिंह, मांगीलाल आदि के बयान लिय व पंचायतीराज नियम 157 के तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा विलेख में नियम 150 से 152 का कोई हवाला नहीं दिया गया है और न ही उक्त नियम आलौच्य प्रकरण में लागू होते हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत मण्डली द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली कायम की गई है एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए अप्रार्थी सं. 2 के पुराने आवासीय कब्जे के आधार पर आलौच्य पट्टा विधिवत रूप से जारी किया गया हैं। प्रार्थी एवं उसके पुत्र नरपत उर्फ नरपतसिंह ने वादग्रस्त भूखण्ड पर अपना कब्जा होने के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया हैं और न ही उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पेश किया हैं। प्रार्थी एवं उसके पुत्र द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को नाहक परेशान करने की गरज से सिविल न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष झूठे एवं मनगढत आधारों पर कार्यवाहियां प्रस्तुत की गई हैं। अतः उपर्युक्त आधारों पर प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा 200/– रूपये में आपसी बातचीत द्वारा विक्रय के प्रावधान अन्तर्गत जारी किया गया है, जिसमें यदि किसी भूखण्ड का नीलामी द्वारा विक्रय संभव नहीं हैं तथा उस पर किसी प्रकार का कब्जा हैं तो ऐसे प्रकरणों में आपसी बातचीत की प्रक्रिया द्वारा विक्रय विलेख जारी किया जाता हैं। वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा एवं निवास हैं इस तथ्य की ग्राम पंचायत द्वारा कोई जांच नहीं की गई हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:47:23 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने अपने पूर्वजों का कब्जा होने के आधार पर आवेदन–पत्र दिनांक 16.07.2009 को सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डली के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं लेकिन पूर्वजों के समय का कब्जा होने के प्रमाणस्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया हैं यहां तक कि अप्रार्थी सं. 2 ने आवेदन–पत्र के समर्थन में कोई शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन–पत्र की पुश्त पर हल्का पटवारी द्वारा आवेदित भूमि की राजस्व रेकर्ड अनुसार टिप्पणी करते हुए अंकित किया हैं कि आवेदित भूखण्ड खसरा नम्बर 959 / 433 गैर मुमकीन आबादी भूमि में आया हुआ हैं जिस पर आवेदक का कई वर्षों से कब्जा हैं। हल्का पटवारी द्वारा उक्त टिप्पणी में कई वर्षों से कब्जा होने का कोई आधार प्रकट नहीं किया गया हैं जो कयासी होने से अचंभित करने वाला हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पत्र पर संधारित की गई पत्रावली में लिखी गई आदेशिकाओं में दिनांक 20.08.2009 में यह अंकित किया गया हैं कि प्रार्थी की पत्रावली मय मौका निरीक्षण रिपोर्ट मय नक्शा पेश किया एवं सदन को पढ़कर सुनाया गया। सदन द्वारा गहन विचार विमर्श कर एक माह का आपत्ति नोटिस प्रारूप 22 नियम 148 के तहत जारी किया जावें। इसके साथ प्रार्थी को आदेश किया कि एक माह के भीतर कब्जे सम्बन्धी सबूत, शपथ–पत्र, पटवारी का प्रमाण पत्र एवं पडौसियों के बयान हेतु पडौसियों को आगामी पंचायत बैठक में पेश किया जावें। उक्त आदेश के अनुसरण में आगामी बैठक में पडौसियों के बयान अवश्य करवाये गये हैं किन्तु स्वंय का शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में रेकर्ड की स्थिति एवं मौके पर निर्माण की स्थिति को दर्शाया गया है, के मौके पर कब्जा आवेदक का होना स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने की जो आदेशिका दिनांक 20.09.2009 की बैठक में प्रस्ताव सं. 02 के अनुसरण में लिखी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:47:23 IST
Reason: SelfAttested

हैं उसमें आवेदक का वर्ष 1975 से कब्जा होना बताते हुए पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत नियमन करने एवं पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया हैं जबकि आलौच्य पट्टा विलेख नियम 156 के तहत आपसी बातचीत के द्वारा जारी किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने प्रतिरक्षण में उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र को मुख्य रूप से मयाद बाहर होने तथा प्रार्थी को आलौच्य पट्टा की जानकारी आरम्भ से होने पर बल देते हुए प्रकट किया हैं कि प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष गलत एवं मनगढत तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह करने का प्रयास किया हैं इस आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर 2015(4)डीएनजे (राज.) 1853 प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय ने यह निर्धारित किया हैं कि अधिनियम में परिसीमा का प्रावधान नही किन्तु असामान्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। इस संबंध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि इस निगरानी प्रार्थना–पत्र के द्वारा किन्ही पक्षकारों के हित अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत के किसी प्रस्ताव, कार्यवाही एवं निर्णय, आदेश इत्यादि की नियमों की सुसंगतता के परिप्रेक्ष्य में अवैधता, अनियमितता, अपूर्णता के पहलु पर जांच हेतु अभिलेख मंगवाकर उसका परीक्षण करने से संबंधित है तथा यह इस न्यायालय के स्वतः संज्ञान अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा ध्यान में लाये जाने पर पुनरीक्षण किये जाने योग्य हैं साथ ही आलौच्य पट्टा जारी होने के बाद प्रस्तुत निगरानी में असाधारण विलम्ब प्रतीत नहीं होता है, ऐसे में हस्तगत प्रकरण में निगरानी प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर होने पर कतई खारिज योग्य प्रतीत नहीं होता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में विहित नियमों की पालना एवं आवश्यक दस्तावेजों को रेकर्ड पर नहीं लेने में पूर्णतया अनियमितता बरती गई हैं तथा की गई कार्यवाही अपूर्ण व अवैध

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रतीत होती है। लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अपूर्णता के साथ ही वैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मण्डली द्वारा बैठक दिनांक 20.09.2009 के संकल्प सं. 2 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 09 दिनांक 10.10.2009 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत मण्डली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड के कब्जे के संबंध में पुनः जांच कर उभय पक्ष को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।

9. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested